कारपोरेट सामाजिक दायित्व व सतत विकास नीति 2015

अगस्त 2020 में संशोधित

कार्पोरट सामाजिक दायित्व व सतत विकास

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPORATION LIMITED

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	परिचय	2
2	उद्देश्य तथा महत्तवपूण क्षेत्र	2 - 6
3	चयन का मानदंड	6
4	प्रशासनिक व्यवस्था	7 - 8
5	योजना का संचालन	8 - 9
6	रिपोर्ट तथा निगरानी	9 - 10
7	निधि का आबंटन	10 - 11
8	सामान्य	11
9	फार्मेट	12 - 13

नीपको कारपोरेट सामाजिक दायित्व व सतत विकास नीति

1.0 परिचय

1.1 कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सतत विकास, कंपनी का पारदर्शी और नैतिकता के साथ अपने हितधारकों के साथ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से सतत तरीके से व्यापार करने की प्रतिबद्धता है।

1.2 अपनी स्थापना के बाद से, नीपको ने हमेशा अपने परिचालन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में,नीपको ने विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य सामुदायिक आवश्यकताओं के क्षेत्र में विभिन्न सामुदायिक विकास गतिविधियों का संचालन किया है।

1.3 भारत में सीएसआर मिशन के पूर्वावलोकन में, नीपको ने सीएसआर-सीडी नीति 2009 तैयार किया। कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014, एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014 दिनांक 18.06.2014 और डीपीई के संशोधित दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार, नीपको की सीएसआर नीति को निदेशक मंडल द्वारा 14.07.2015 को अनुमोदित कर दिया गया है।

नीपको का सीएसआर मिशन

समाज और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी रहते हुए मानवीय मूल्यों के पोषण के लिए एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में कार्य करना।

नीपको का सीएसआर विजन

अपनी सेवा से सांसारिक तथा समुदायिक क्षेत्र में विकास करना ।

2.0 सीएसआर व सतत विकास गतिविवधियों का उद्देश्य व महत्व के क्षेत्र

सीएसआर गतिविधियां केवल उत्पादन और परिणाम दायी ही नहीं बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर भी केंद्रित होंगी। सीएआर और सतत विकास के तहत सामान्य रूप से की जाने वाली सभी विभिन्न गतिविधियाँ, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप होंगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में चिन्हित की गई गतिविधियों की दिशा में काम करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, नीपको के सीएसआर और सतत विकास गतिविधियों में निम्नलिखित क्षेत्र पर जोर दिया जाएगा :

(i) भूख, गरीबी व कुपोषण का उन्मूलन,स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

उपर्युक्त प्रावधान के तहत,विशेष गतिविधियों में शामिल होंगे :

- कृषि आधारित आजीविका, उद्यमिता विकास कार्यक्रम
- चिकित्सा जागरूकता शिविर और अभियान
- मातृ स्वास्थ्य और बाल मृत्यु दर में कमी सुनिश्चित करना
- स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल, आदि।

(ii) विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के बीच व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार बढ़ाने सहित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका वृद्धि योजनाएं।

उपर्युक्त प्रावधान के तहत,विशेष क्रियाकलापों में शामिल होंगे :

- स्कूल छोड़ने की दर को रोकने के उपाय- छात्रों को पुस्तकों / ड्रेस / छात्रवृत्ति का वितरण
- स्कूल के शौचालयों का निर्माण, विशेष कर लड़कियों के शौचालयों का निर्माण
- स्कूलों / शैक्षणिक संस्थान के बुनियादी ढांचे का उन्नयन
- आईटीआई प्रशिक्षण / विशेष डिप्लोमा प्रशिक्षण जैसे नर्सिंग, मेडिकल तकनीशियन, ब्यूटीशियन आदि
- बेरोजगार युवाओं के लिए क्षमता निर्माण, आदि।

(iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं तथा अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करने के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना किए जा रहे असमानताओं को कम करने के उपाय करना।

उपर्युक्त प्रावधान के तहत,विशेष क्रियाकलापों में शामिल होंगे :

- महिला केंद्रित प्रशिक्षण गतिविधि
- महिला केंद्रित आजीविका / ईडीपी प्रशिक्षण
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर और छात्रावास, वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर की स्थापना
- रैन बसेरा, मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप

(iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा मिट्टी, हवा व पानी की गुणवत्ता बनाए रखना।

उपर्युक्त प्रावधान के तहत,विशेष क्रियाकलापों में शामिल होंगे :

- कचरा प्रबंधन
- जल प्रबंधन
- ऊर्जा प्रबंधन
- जैवविविधता संरक्षण
- कार्बन प्रबंधन

(v) राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति संरक्षण सहित ऐतिहासिक महत्व के इमारतों और स्थलों एवं कलाकृतियों का पुनरूद्धार के कार्य करना; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का संवर्धन और विकास।

उपर्युक्त प्रावधान के तहत,विशेष क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- राष्ट्रीय धरोहर स्थलों का संरक्षण
- ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार
- पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का संवर्धन और विकास

(vi) सशस्त्र बलों के सेवा-निवृत्त सैनिकों, शहीद के विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ से संबंधित कार्य।

उपर्युक्त प्रावधान के तहत,विशेष क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- दिवंगतों के परिवार के सदस्यों के लिए शिक्षा और चिकित्सा सुविधा आदि।

(vii) ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरा-ओलंपिक खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।

उपर्युक्त प्रावधान के तहत,विशेष क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- खेल को बढ़ावा देना
- खेल आदि के लिए प्रशिक्षण / कोचिंग।

(viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य फंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं राहत और कल्याण के लिए योगदान;

(ix) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उष्मा नियंत्रकों के स्थापना हेतु योगदान, और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान से जुड़े सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकाय (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तत्वाधान में स्थापित), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ,जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) में योगदान

उपर्युक्त प्रावधान के तहत,विशेष क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- तकनीकी शोधकर्ता तथा अनुसंधान व विकास इत्यादि के लिए नीधि आबंटन करना

(x) ग्रामीण विकास परियोजनाएँ

उपर्युक्त प्रावधान के तहत,विशेष क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- स्वयं सेवी समूहों (एसएचजी) को बढ़ावा देना

- विद्युतीकरण यानी बिजली की वस्तुओं की आपूर्ति और स्थापना आदि।

(xi) स्लम क्षेत्र का विकास: स्लम क्षेत्र का अर्थ है कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथासमय कानूनी रूप से घोषित ऐसे किसी भी क्षेत्र से है।

(xii) राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन

3.0 सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों के चयन के लिए मानदंड :

3.1 सीएसआर एंड सतत विकास, कंपनी की अपने हितधारकों के प्रति एक प्रतिबद्धता है। हितधारकों में नीपको की गतिविधियों से लाभांवित व्यक्ति शामिल हैं और सीएसआर गतिविधियों का निर्धारण करते समय उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अत: नीपको, अपने संचालन और कार्यालयों के आसपास के स्थानीय क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियों के लिए प्राथमिकता देगा। हालांकि, निदेशक मंडल देश के अन्य हिस्से के लिए बजट खर्च का फैसला कर सकते हैं।

3.2 **सीएसआर योजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियां जो केवल कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभान्वित करती हैं, सीएसआर गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाएगा।**

3.3 परियोजना के पूरा होने तक संपूर्ण खर्च की प्रतिबद्धता के साथ दीर्घावधि तथा प्रभावी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सीएसआर गतिविधियाँ निगम की नीति के अनुसार योजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों (या तो नए या चल रहे) के तौर पर शुरू की जाएंगी। **गतिविधियाँ जो तदर्थ हैं, एक बार की परोपकारी कार्य जैसे मैराथन / पुरस्कार / धर्मार्थ योगदान / विज्ञापन / टीवी कार्यक्रम के प्रायोजन आदि को सीएसआर व्यय के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा।**

गतिविधि, स्थल, बजट और अन्य संसाधनों के चयन पर निर्णय लेना केवल निदेशक मंडल के विवेकाधीन होगा।

3.4 **किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान के तौर पर दी गई राशि को सीएसआर गतिविधि नहीं माना जाएगा।**

4.0 प्रशासनिक व्यवस्था - दो-स्तरीय संगठनात्मक व्यवस्था

5.1 **बोर्ड स्तर-टीयर-I :** बोर्ड द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सभी कार्यात्मक निदेशक को लेकर एक बोर्ड स्तर की समिति (बीएलसी) का गठन किया जाएगा, जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक को इस समिति के सदस्य के रूप शामिल किया जाएगा जो समग्र रूप से सीएसआर नीति के कार्यान्वयन कार्यों को देखेंगे तथा निगम के सीएसआर व सतत विकास के मदों को वांछित दिशा की ओर अग्रेषित करने के लिए उपयुक्त नीति तथा योजना तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करेगा। यह बीएलसी (**स्तर-I**) आवधिक तौर पर निदेशक मंडल के समक्ष रिपोर्ट सूचनार्थ प्रस्तुत करेगा तथा बोर्ड के निदेशानुसार सुधार कार्य भी करेगा।

5.2 नोडल अधिकारी : बोर्ड स्तर से एक रैंक कम वाले वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नीपको में समग्र सीएसआर गतिविधियों के समन्वय की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी की होगी।

नोडल अधिकारी, नीतिगत मामलों के कार्यान्वयन, सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट के संकलन के लिए भी जिम्मेदार होगा तथा नीधि के अनुमोदन और आवंटन से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों को भी निष्पादित करेगा। नोडल अधिकारी,निगम के भीतर विभिन्न विभागों में सीएसआर गतिविधियों में समन्वय का कार्य भी देखेगा। नोडल अधिकारी इस विषय पर बीएलसी द्वारा यथानिर्देशित और निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित निदेशानुसार भी जारी करेगा और तदानुसार बोर्ड स्तर की समिति को प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। नोडल अधिकारी को उनकी जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए अधिकारियों समूह (टीयर- II) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

5.3 **सीएसआर व सतत विकास पर स्थायी समिति- टीयर- II :** बोर्ड स्तरीय समिति / निदेशक मंडल के अनुमोदित से सीएसआर, तकनीकी और वित्त विभाग के प्रतिनिधि को शामिल एक समिति गठित की जाएगी जो बोर्ड स्तर की समिति की आगली संस्तुति और निदेशक मंडल की सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रस्तावों की जांच करेगा और अपनी संस्तुति के साथ नोडल अधिकारी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

5.4 **परियोजनाओं/कार्यालयों में सीएसआर व सतत विकास :** परियोजनाओं / कार्यालय के प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सीएसआर व सतत विकास गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

सीएसआर और स्थिरता पर परियोजना स्तरीय समिति का गठन मानव संसाधन, तकनीकी और वित्त विभाग के प्रतिनिधि के साथ किया जाएगा। यह समिति परियोजना के भीतर सीएसआर व सतत विकास गतिविधियों के संचालन, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी।

परियोजना के भीतर किए गए सीएसआर व सतत विकास गतिविधियों को परियोजना स्तर समिति संकलित करेगी और समय-समय पर इसे कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग को सूचित भी करेगी।

5.5 **कारपोरेट मुख्यालय में सीएसआर व सतत विकास विभाग :** परियोजनाओं / कार्यालय की आवश्यकता के आधार पर सीएसआर /सतत विकास विभाग प्रत्येक गतिविधि पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे सीएसआर की स्थायी समिति (टीयर- II) को इसकी समीक्षा एवं नीधि आबंटन को अग्रेषित करेगा ।

कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग योजना, चयन, कार्यान्वयन के लिए सभी विभागों, समितियों के साथ समन्वय करेगा और निगम के सीएसआर व सतत विकास मदों का विवरण देगा।

6.0 <u>योजना का संचालन</u> :

6.1 सामाजिक मूल्यांकन की तैयारी के लिए सामाजिक-आर्थिक / आधारभूत सर्वेक्षण स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।

6.2 वृहद दृष्टिकोण, बहुसंख्यक लाभाकारी और व्यापक तथा दीर्घावधिक प्रभाव वाले महत्तवकांक्षी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अन्य सीपीएसई के साथ भागीदारी भी की जाएगी।

6.3 परियोजनाओं के सीएसआर विभाग, परियोजनाओं में सीएसआर व सतत विकास गतिविधियों की वार्षिक योजना और विस्तृत परियोजना तैयार करेगा जिसमें अनुमानित बजट भी शामिल होगा। आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग में प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष के नवंबर माह तक पहुंच जानी चाहिए।

6.4. प्रत्येक योजना के लिए विस्तृत योजना रिपोर्ट परियोजना के सीएसआर समिति द्वारा संबंधित वित्त के माध्यम से परियोजना प्रमुख की सहमति से तैयार की जाएगी। इसे, कारपोरेट सीएसआर व सतत विकास विभाग को अग्रेषित किया जाएगा जो अपनी समीक्षा एवं संस्तुति के साथ इसे सीएसआर के कॉर्पोरेट स्थायी समिति के समक्ष बोर्ड स्तरीय

समिति की संस्तुति तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु नोडल अधिकारी के माध्यम से बीएलसी के पास अग्रेषित करेगा।

6.5. निगम की वर्तमान नीति के अनुसार विभिन्न गतिविधियों का कार्यान्वयन सामान्य रूप से कार्य आबंटन के माध्यम से किया जाएगा। सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन में केंद्र / राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, पंचायती राज संस्थानों और किसी भी विशेषज्ञ एजेंसी, गैर सरकारी संगठनों की सेवाएं ली जा सकती है।

6.6 स्वयं के कर्मियों या व्यावसायिक संगठनों / उद्योग / शिक्षण संस्थानों विशेष सरकारी मंत्रालय / विभाग, योजना आयोग, स्वायत्त संगठन या राष्ट्रीय / क्षेत्रीय सीएसआर केन्द्र, बाह्य विशेष एजेंसी / गैर सरकारी संगठन / गैर-लाभकारी संगठन द्वारा सूचीबद्ध संचालित एजेंसियों जिनके पास विभिन्न सीएसआर व सतत विकास गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी तथा प्रभाव मूल्यांकन के क्षेत्र में कम से कम तीन वित्तीय वर्ष से अधिक का कार्य निष्पादन का अनुभव है,की सेवा ली जा सकती है लेकिन इनकी सेवाओं के लिए कुल सीएसआर व्यय के पाँच प्रतिशत से अधिक का व्यय नहीं होना चाहिए।

7.0 रिपोर्ट

7.1 प्रत्येक परियोजना अपनी परियोजना में किए गए सीएसआर और सतत विकास गतिविधियों के तहत किए कार्य की स्थिति, वार्षिक उपयोगिता, बजट के उपयोग, अर्जित समुदायिक लाभ और लाभान्वित लोगों की संख्या आदि का उल्लेख करते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी।

7.2 सीएसआर व सतत विकास के तहत क्रियान्वित की गई गतिविधियों पर परियोजना/कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट को कारपोरेट सीएसआर व सतत विकास विभाग संकलित करेगा और निगम के लिए गए व्यापक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा नोडल अधिकारी के माध्यम से बोर्ड स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगा ।

7.3 रिपोर्ट को मुद्रित रूप में प्रकाशित किया जाएगा और नीपको वेबसाइट पर पृथक रूप में समर्पित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्तव व सतत विकास भाग पर भी पोस्ट किया जाएगा। वेबसाइट में नीति, कार्यान्वित की गई गतिविधियों का विवरण या इससे संबंधित कोई अन्य विवरण शामिल होगा।

7.4 विभिन्न हितधारकों के सूचनार्थ हेतु नीपको की वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर व सतत गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट को भी शामिल किया जाएगा।

7.5 वैश्विक रिपोर्टिंग ढांचे (जीआरआई) के अनुरूप आमतौर पर स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग पद्धति के अनुसार नीपको वार्षिक सतत विकास रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

7.6 लेखा परीक्षा और सतत विकास से संबंधित रिपोर्टिंग के लिए सभी गतिविधियों का सावधानीपूर्वक दस्तावेज़ीकरण निगम के स्थापनाओं, परियोजनाओं और कॉर्पोरेट कार्यालय में किया जाएगा।

7.8 सीएसआर व एस गतिविधियों को होर्डिंग प्रदर्शन / प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से सभी हितधारकों को व्यापक रूप से सूचित किया जाएगा।

8.0 <u>निगरानी</u> :

8.1 योजनाओं / गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी नोडल अधिकारी और बोर्ड स्तरीय समिति के माध्यम से परियोजना प्रमुख और कॉर्पोरेट सीएसआर व सतत विकास विभाग द्वारा की जाएगी। एक पारदर्शी निगरानी तंत्र को अपनाया जाएगा तथा योजना से संबंधित निरंतर प्राप्त फीडबैक और मध्य-अवधि सुधार की प्रवृत्ति के साथ मुख्य प्रदर्शन संकेतक की मदद से निगरानी की जाएगी । निगरानी के लिए बाह्य एजेंसी को भी शामिल किया जा सकता है। परियोजना प्राधिकारी द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट (भौतिक और वित्तीय) अग्रेषित की जाएगी। अगले महीने के पहले सप्ताह के भीतर नोडल अधिकारी को रिपोर्ट भेजनी होगी।

8.2 **प्रभाव आकलन** : परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन बाहरी एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

9.0 <u>नीधि का आबंटन</u> :

9.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार, पूर्ववर्ति तीन वित्तीय वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत (2%) सीएसआर व सतत विकास गतिविधियों के लिए बजट होगा। सीएसआर उद्देश्य के लिए पिछले वर्ष के लाभ की मात्रा का प्रतिशत निदेशक मंडल द्वारा वर्ष-दर-वर्ष निर्धारित किया जाएगा। कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि

खर्च न किए जाने का कारण दर्शाएगी और अव्यतित राशि अगले वर्ष के लिए अग्रेषित की जाएगी।

9.3 परियोजनाओं के मूल्यांकन / आधारभूत अध्ययन, कॉर्पोरेट संचार, योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और प्रभाव का मूल्यांकन से संबंधित सभी आवश्यक गतिविधियों के व्यय को उपरोक्त बजट में शामिल किया जाएगा।

9.4 सीएसआर या सतत विकास के तहत पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत योजनाएं / गतिविधियां जारी रहेंगी। इन योजनाओं के पूरा होने तक आवश्यक धनराशि प्रदान की जाएगी।

9.5 सीएसआर योजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा।

10.0 <u>सामान्य</u> :

10.1 इस नीति को समय-समय पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों तथा यथा लागू सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित और लागू किया जाएगा।

10.2 यह नीति सीएसआर व सतत विकास गतिविधियों की योजना और चयन के लिए संदर्भित दस्तावेज के रूप में काम करेगी, हालांकि, संदेह उत्पन्न होने की स्थिति में, संशोधित डीपीई के दिशानिर्देश और कंपनी अधिनियम 2013, इस विषय पर कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का संदर्भ लेते हुए विसंगति से बचने की सलाह दी जाती है।

10.3 सीएसआर व सतत विकास नीति में संशोधिन / बदलाव करने का अधिकार निदेशक मंडल का होगा। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इस संदर्भ में नियमों के तहत बनाए गए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।

फार्मेट :

संलग्नक

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का फार्मेट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित योजनाओं या कार्यक्रमों का विवरण और सीएसआर नीति और पयोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है।
2. सीएसआर समिति की संरचना
3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ (पीबीटी)
4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 के राशि का दो प्रतिशत)
5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर किए गए खर्च का विवरण।

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि;
(ख) अव्यतित राशि, यदि कोई हो;
(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान मदवार खर्च की गई राशि का विस्तृत विवरण निम्नवत रूप में है: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर योजनाएं या क्रियाकलाप	क्षेत्र जिसके तहत योजना को शामिल किया गया	योजना या क्रियाकलाप (1) क्षेत्रीय या अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां योजनाएं या क्रियाकलाप कार्यान्वित की गई	योजना या क्रियाकलाप वार परिव्यय (बजट) राशि	योजनाओं या क्रियाकलापों पर खर्च की गई राशि **उप-शीर्ष :** (1) योजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय। (2)शीर्षवार :	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय।	राशि का व्यय : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1							
2							
3							
	कुल						

* कार्यान्वयन एजेंसी का पूर्ण विवरण दीजिए :

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं होने के कारण का उल्लेख करेगी।

7. सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य सीएसआर उद्देश्यों तथा कंपनी की नीति के अनुरूप किया गया से संबंधित एक उत्तरदायी विवरण।

ह./-	ह./-	ह./-
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)	(अध्यक्ष सीएसआर समिति)	(अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (डी) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति) (जहां कही भी लागू हो)

****
***